भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *138

जिसका उत्तर 13.02.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग-734 को चौड़ा करना

***138. श्रीमती रुचि वीरा:**

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुरादाबाद से ठाकुरद्वारा होते हुए उत्तराखंड तक चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-734 को चौड़ा करके इसे छह लेन का बनाए जाने हेतु भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के लिए कोई धनराशि आवंटित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी तहसीलवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त निर्माण कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना 12 जनवरी, 2022 को जारी की गई थी, लेकिन किसानों को मुआवजा 2019 के सर्किल रेट के आधार पर दिया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को उक्त खंड पर निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण संबंधी मुआवजे में अधिकारियों द्वारा बरती गई घोर लापरवाही के संबंध में जनप्रतिनिधियों से शिकायतें मिली हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार किसानों को 12 जनवरी, 2022 के सर्किल रेट के बजाय 2019 के सर्किल रेट पर दिए जा रहे मुआवजे के संबंध में उच्च स्तरीय जांच कराएगी और लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

“राष्ट्रीय राजमार्ग-734 को चौड़ा करना” के संबंध में श्रीमती रुचि वीरा द्वारा पूछे गए दिनांक 13-02-2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 138 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग - 734 के चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के रूप में लगभग 1207 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। तहसील-वार विवरण अनुबंध में संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग -734 के चौड़ीकरण का कार्य 3 पैकेजों में सौंपा गया है और भूमि अधिग्रहण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की 3ए के तहत अधिसूचना का विवरण निम्नानुसार है: -

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग -734 के किमी. 0.000 से किमी. 33.200 तक मुरादाबाद खंड बाईपास रिंग रोड को 4 लेन का बनाना(पैकेज-I)। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए दिनांक 28.09.2021 को अधिसूचना प्रकाशित की गई थी।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग - 734 के किमी 0.000 से किमी 38.770 तक मुरादाबाद-ठाकुरद्वारा-काशीपुर खंड को 4 लेन का बनाना (पैकेज-II) । राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए दिनांक 12.01.2022 को अधिसूचना प्रकाशित की गई थी।

(3) किमी 38.770 (यूपी/उत्तराखंड सीमा के निकट) से किमी 53.260 पर समाप्त होने वाले काशीपुर बाईपास को 4 लेन का बनाना (पैकेज-III) है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए दिनांक 05.05.2022 को अधिसूचना प्रकाशित की गई थी।

मुआवजे के निर्धारण के संबंध में, भूमि और संबंधित संरचनाओं का मुआवजा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (ए) के तहत अधिसूचित भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, मुआवजा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम-2013) के प्रावधान के अनुसार सीएएलए द्वारा निर्धारित किया जाता है। मुआवजे की गणना सीएएलए द्वारा लागू प्रावधानों के अनुसार की गई है।

(ग) से (घ) सरकार को जनता और जनप्रतिनिधियों से शिकायतें/संदर्भ प्राप्त होते हैं और उनका उचित तरीके से निपटारा किया जाता है। जहां तक इस परियोजना का संबंध है, इस संबंध में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

अनुबंध

"राष्ट्रीय राजमार्ग-734 को चौड़ा करना" के संबंध में श्रीमती रुचि वीरा द्वारा पूछे गए दिनांक 13-02-2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 138 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (किमी में)	तहसीलवार भूमि अधिग्रहण के लिए दी गई लागत (करोड़ रु. में)	
			तहसील	राशि (करोड़ रु. में)
1	एनएच-734 के किमी 0.000 से किमी 33.200 तक मुरादाबाद बाईपास रिंग रोड को 4 लेन का बनाना (पैकेज-I)	33.72	मुरादाबाद	451.84
			अमरोहा	20.28
2	एनएच-734 के किमी. 0.000 से कि.मी. 38.770 तक 4 लेन मुरादाबाद-ठाकुरद्वारा-काशीपुर खंड को 4 लेन का बनाना (पैकेज - II)	38.77 & (पैकेज III का 0.980 किमी)	मुरादाबाद	218.77
			ठाकुरद्वारा	308.00
3	किमी. 38.770 (यूपी/यूके सीमा के निकट) से किमी. 53.260 पर समाप्त होने वाले काशीपुर बाईपास को 4 लेन का बनाना (पैकेज- III)	14.490 (उत्तराखंड में 13.510)	काशीपुर	207.60

******